मंत्री यूं ही काम लटकाते रहे, तो कैसे करेंगे जनता का सामना?

कांग्रेस के 40 से ज्यादा विधायक मुख्यमंत्री या प्रभारी को कर चुके हैं इस तरह की शिकायतें

■ **मंत्रियों के साथ ही ब्यूरोक्रेसी के रवैए पर भी है कांग्रेस विधायकों में नाराजगी**

जयपुर, (का.प्र.)। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार दो अलग-अलग दौर में चल रही लगती है। दोनों ही दौर में मंत्री-विधायकों से लेकर ब्यूरोक्रेसी के बीच खींचतान स्पष्ट रूप से नजर आई। पहले के पार्ट में जहां पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के साथ विधायकों ने खुलकर सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हुए नेतृत्व बदलने की मांग की थी। वही अब दूसरे पार्ट में विधायकों की नाराजगी मंत्री और ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ रोजाना सामने आ रही है। पिछले 6 महीने की ही बात करें तो सिर्फ विधायक ही नहीं कई मंत्रियों ने भी ब्यूरोक्रेसी पर निशाना साधा है। वही लगभग 40 विधायकों ने मुख्यमंत्री से लेकर दिल्ली तक मंत्रियों के रवैये और कामकाज नहीं करने को लेकर स्पष्ट रूप से अपनी नाराजगी बताई हैं।

दरअसल इस सरकार में सबसे ज्यादा नाराजगी तो बसपा से कांग्रेस में आने वाले विधायकों की सामने आई है। मंत्री राजेंद्र गुढ़ा तो कई बार स्पष्ट रूप से मंत्रियों का नाम लेकर काम नहीं होने को लेकर शिकायतें कर चुके हैं, तो कांग्रेस के कई विधायकों ने मंत्रियों की ओर से महत्वपूर्ण कामों को लटकाकर रखने या काम नहीं करने की शिकायतें लगातार मुख्यमंत्री से की है। अब जब चुनाव में जाने का समय नजदीक आ रहा है, तो विधायकों को लग रहा है कि यदि मंत्रियों की ओर से इसी तरह से काम को लटकाया जाता रहा, तो चुनाव में जनता का सामना करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब विधायक धीरे-धीरे खुलकर सामने आने लगे हैं। जहां तक ब्यूरोक्रेसी को लेकर नाराजगी की बात है तो पिछले दिनों ही खेल मंत्री अशोक चांदना ने तो मुख्यमंत्री के सचिव के खिलाफ नाराजगी जताते हुए मंत्री पद को ही जलालत भरा बता दिया था।

बताया जाता है कि 18 जुलाई को जब राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग थी, उस दिन बड़ी संख्या में विधायकों ने मुख्यमंत्री से मंत्रियों के सामने ही काम नहीं करने की शिकायतें की थी। हालांकि मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों को आश्वस्त किया है कि वे खुद मंत्रियों से समय पर काम करने को कहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वस्त किया था कि वह खुद विभाग वार समीक्षा बैठकर इसलिए कर रहे हैं कि यदि विभागों में काम नहीं हो रहा है तो समीक्षा में पता चल जाए।

राज्यसभा चुनाव की वोटिंग से पहले भी बसपा से कांग्रेस में आए 5 विधायकों के साथ ही कांग्रेस विधायक और अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष खिलाड़ी बैरवा ने की सरकार में कामकाज को लेकर खुलकर नाराजगी जताई थी। वही एक वरिष्ठ विधायक ने तो टीवी डिबेट में मंत्री पर उंगलियां उठाई थी। विधायक भरत सिंह भी लगातार मंत्रियों के कामकाज को लेकर मुख्यमंत्री को चिट्ठियां लिखते रहे हैं। अब जब मुख्यमंत्री ने तबादलों से बैन हटा दिया है और सभी विधायक तबादलों को लेकर मंत्री से सीधे मिलकर अपने समर्थकों के काम करवाना चाहते हैं, तो कई मंत्री-विधायकों को मिल नहीं रहे हैं। इसे लेकर भी विधायकों में नाराजगी बढ़ रही है। हालांकि मुख्यमंत्री अब ज्यादा चिंतित नहीं हैं, क्योंकि अब किसी राज्यसभा सीट पर कोई चुनाव नहीं होना है। हालांकि लगातार विधायकों की नाराजगी की खबरें सामने आने के चलते आम जनता में गलत संदेश जा सकता है। इस बात को मुख्यमंत्री अच्छी तरह से जानते हैं। यही कारण है कि वह विधायकों को आश्वस्त करके किसी तरह से चुप रखना चाहते हैं।

'कांग्रेस जिंदा रहेगी, तो ही हम जिंदा रहेंगे'

जयपुर, (का.प्र.)। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को समन भेजकर ईडी की ओर से बुलाए जाने के खिलाफ होने वाले कांग्रेस के आंदोलन की रणनीति बनाने तथा संगठन चुनाव के संबंध में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बुलाई गई जयपुर शहर कांग्रेस की बैठक में विधायकों, पार्षदों और संगठन नेताओं की ओर से गंभीरता नहीं दिखाई जाने को लेकर जयपुर शहर जिला कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष और राज्य के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भड़क गए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कांग्रेस नेताओं को कहा कि गलतफहमी कोई नहीं पाले, क्योंकि इस तरह की लापरवाही करोगे और कांग्रेस खत्म हो जाएगी तो बचेगा कौन?

दरअसल संगठन चुनाव को लेकर जयपुर के डीआरओ जयपुर में सभी कांग्रेसजनों से मिलकर संगठन चुनाव को लेकर चर्चा करने के लिए आए थे। इसी के साथ जयपुर में गुरुवार को प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन किया जाना है। यह प्रदर्शन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी के बुलावे के खिलाफ जयपुर स्थित ईडी कार्यालय के बाहर किया जाना है। इसी संबंध में जयपुर शहर कांग्रेस की बैठक प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बुलाई गई थी,लेकिन इस बैठक में 5 में से 4 विधायक नहीं आए। वहीं जयपुर नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज के 80 में से सिर्फ 21 पार्षद ही पहुंचे।

भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का वक्फ मुख्यालय पर प्रदर्शन

भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एम सादिक खान के नेतृत्व में बुधवार को राजस्थान वक्फ बोर्ड कार्यालय जयपुर पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया।

■ **वक्फ संपतियों से कब्जा छोड़े राज्य सरकार, सभी जिला वक्फ बोर्ड कमेटियों को तुरंत भंग किया जाए : एम. सादिक खान**

जयपुर। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष एम सादिक खान के नेतृत्व में राजस्थान वक्फ बोर्ड कार्यालय जयपुर पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष एम सादिक खान ने अपने चिर-परिचित अंदाज में वक्फ बोर्ड की कारगुजारी का भांडा फोड़ किया।

उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से कांग्रेस सरकार चन्द अल्पसंख्यक समाज के लोगों को लॉलीपॉप देकर बेवकूफ बना रहीं है धरातल पर अल्पसंख्यक समाज के हितों के लिए कोई कार्य नहीं हुए और तो और अल्पसंख्यक लोगों के विभागों का बेड़ा गर्क कर रखा हैं। जिसमें वक्फ बोर्ड को ही देखे, हमारे बाबाओं अजदाद ने अपनी जायदादों को लोगों की भलाई के लिए वक्फ को दी थीं। उन वक्फ जायदादों की देखभाल वक्फ बोर्ड को करनी थी, मगर इसका उल्टा हो रहा है। कहीं वक्फ जायदादों के पट्टे दिये जा रहे हैं तो कही अवैध निर्माण व अवैध कब्जे करवाये जा रहे हैं। वर्षों पुराने किरायेदारो का नई किराया निति से किराया नहीं वसूला जा रहा है। वक्फ जायदादो की आमदनी का जरिया बढ़ाया जायें ताकि अल्पसंख्यक समाज के बच्चो की फ्री कोचिंग दी जा सकें। जिसे काफी समय पहलें बन्द कर दिया गई। विधवा पेंशन चालू करें, गरीब बच्चों व बच्चियों की शादी में इमदाद बन्द कर दी गई उनको चालू किया जाये। अशोक गहलोत को चेताया की वक्फ बोर्ड के साथ न्याय करें। वक्फ जायदादो को सुरक्षित करें। मोर्चा प्रदेश महामंत्री हमीद मेवाती ने संबोधित करते हुए कहा कि अलवर भरतपुर में वक्फ बोर्ड की जमीनों पर हो रहें अवैध कब्जो के हटाने की मांग की और राजा हसन खां मेवाती की समाधि स्थल से कब्जा तुरन्त हटाया जाये। मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुसैन खान ने संबोधित करते हुए कहा कि जयपुर के मुस्लिम मुसाफिर खाने की कमेटी बदली जायें। वक्फ की जमीनो पर से अवैध कब्जे हटाए जायें वक्फ किराया निति के अनुसार वक्फ जायदादो से किराया वसूला जाये। कार्यालय मंत्री उस्मान खान चौहान ने आने वाले सभी कार्यकर्ताओ का धन्यवाद ज्ञापित किया।

इस मौके पर मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष फरमान अहमद, प्रदेश मंत्री आसिफ खान, शहजाद पठान, आसिफ नकवी, कोषाध्यक्ष अकरम कुरेशी, आईटी सेल सह-संयोजक मोहम्मद इरसाद हसनपुरा सहित प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

विजय दास के आत्मदाह ने राजस्थान सरकार की हठधर्मिता की पोल खोल दी है : डॉ.पूनिया

■ **भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने एसएमएस अस्पताल में जाकर संत विजयदास की पूछी कुशलक्षेम**

■ **भरतपुर के डीग क्षेत्र में अवैध खनन माफियाओं के विरोध में संत विजय दास द्वारा आत्मदाह करना गहलोत सरकार के माथे पर कलंक है : राजेन्द्र राठौड़**

जयपुर। बृज के कामां क्षेत्र में पिछले 551 दिनों से अवैध खनन के खिलाफ साधु समाज का आंदोलन चल रहा है। साधु-संतों की मांग के बाद भी सरकार के हस्तक्षेप के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं होने की परिणिति एक साधु की आत्मदाह के रूप में हुई। राजस्थान की कांग्रेस सरकार की हठधर्मिता का बड़ा उदाहरण है कि 27 जनवरी 2005 में अवैध खनन के खिलाफ खनन पर रोक के बावजूद भी जब इस तरीके से अवैध खनन हो रहा है तो उसको लेकर साधु संतों और आम जनता में बड़ा आक्रोश था, क्योंकि यह पूरा क्षेत्र ब्रज चौरासी क्षेत्र में आता है, जो धार्मिक आस्था का एक बड़ा केंद्र है। राजस्थान सरकार की कानून व्यवस्था की पोल तो इस मामले से खुलती ही है, लेकिन किस तरीके से राजस्थान की सरकार व प्रशासन लापरवाह है उसकी यह बानगी है। विजय दासके आत्मदाह ने राजस्थान सरकार की हठधर्मिता की और मुद्दों के समाधान नहीं करने की पोल खोल दी है।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां ने सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंच कर संत विजय दास की कुशलक्षेम पूछी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि उदयपुर के बाद फिर बृज के कामा क्षेत्र में अशोक गहलोत सरकार की घोर लापरवाही है। अवैध खनन को बंद कराने की साधु-संतों की मांग पर राज्य सरकार ने ध्यान नहीं दिया।एक संत के आत्मदाह का प्रयास इसी का परिणाम है। ये कैसी विडम्बना है कि रोक के बाद भी वहाँ अवैध खनन हो रहा है और साधु-संतो को आवाज़ उठानी पड़ रही है। राज्य सरकार ने यदि इस विषय को गम्भीरता से लिया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। इसके लिए पूरी तरह से राज्य की गहलोत सरकार ज़िम्मेदार है।

वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने ट्वीट कर कहा कि भरतपुर के डीग क्षेत्र में अवैध खनन माफियाओं के विरोध में संत श्रीविजयदासजी द्वारा आत्मदाह करना गहलोत सरकार के माथे पर कलंक है। राठौड़ ने कहा कि दुर्भाग्य है कि पिछले 551 दिनों से क्षेत्र में साधु संत आंदोलन कर रहे हैं लेकिन चिरनिद्रा में सोई सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। राठौड़ ने कहा कि कनकांचल और आदिबद्री पर्वत धार्मिक आस्था का प्रतीक है जहां पर खनन का लंबे समय से विरोध हो रहा है। संतों ने प्रशासन को पूर्व में ही आत्मदाह की चेतावनी दी थी, इसके बावजूद प्रशासन ने साधु संतों से सकारात्मक वार्ता नहीं करके आंदोलन को खत्म नहीं कराया। ईश्वर से संत श्रीविजयदासजी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं।

एक पद खाली रखने के आदेश

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती-2020 में दिव्यांग श्रेणी से चयनित अभ्यर्थी से नया दिव्यांग प्रमाण पत्र मांगने पर प्रमुख कॉलेज शिक्षा सचिव, निदेशक व आरपीएससी सचिव से 11 अगस्त तक जवाब मांगा है। वहीं अदालत ने याचिकाकर्ता के लिए दिव्यांग श्रेणी में एक पद खाली रखने के लिए कहा है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश जयप्रकाश अवस्थी की याचिका पर दिए।

वोट बैंक से पहले समाज में शांति और सौहार्द की चिंता करें कांग्रेसी : शेखावत

जयपुर। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सद्भाव बिगाड़ने वाले पुराने वीडियो पर 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद राजस्थान सरकार पर हमला बोला। शेखावत ने कहा कि कांग्रेसियों को वोट बैंक से पहले समाज में शांति और सौहार्द की चिंता करनी चाहिए।

बुधवार को सिलसिलेवार ट्वीट कर शेखावत ने कहा कि जयपुर के घाटगेट में सालभर पहले दहशत फैलाता वीडियो बनाया गया था, जिस पर मामूली कार्रवाई करते हुए मामला रफा-दफा कर दिया गया। वीडियो से फैलते जहर को रोकने की कोशिश न की गई, पिछले हफ्तेभर से यह वीडियो पुनः साजिश की मंशा से वायरल किया जाने लगा। उन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान में आते ही तत्काल मैंने इस पर आपत्ति जताई।

नए करोना संक्रमितों की संख्या ढाई सौ के करीब पहुंची राजस्थान में

राज्य में बुधवार को 246 नए संक्रमित मिले हैं, इनमें सबसे ज्यादा 63 मरीज जोधपुर में पाए गए हैं

■ **राजधानी जयपुर में भी थोड़ी वृद्धि के बाद 45 नए संक्रमित मिले हैं।**

■ **प्रदेश में करोना से पिछले चौबीस घंटों में दो लोगों की मौत हो गई है।**

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। प्रदेश नए करोना संक्रमितों की संख्या ढाई सौ के करीब पहुंच गई है। बुधवार को राज्य में 246 नए संक्रमित सामने आए हैं, जबकि दो लोगों की मौत हो गई है। वहीं इस बीच रिकवरी कम होने से एक्टिव केस बढ़कर 1438 हो गए हैं।

प्रदेश में नए करोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पिछले चौबीस घंटों में 20 जिलों में 246 नए संक्रमित मिले हैं। इससे पहले मंगलवार को इनकी संख्या 180 रही थी। इधर पिछले दो दिनों से सबसे ज्यादा नए संक्रमित जोधपुर जिले में मिल रहे हैं। इसके चलते बुधवार को भी यहां सर्वाधिक 63 नए मरीज पाए गए हैं। वहीं राजधानी जयपुर में आज थोड़ी वृद्धि के बाद 45 नए संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा बीकानेर में 25, जालोर में 20, अजमेर में 19, उदयपुर में 14, अलवर में 13, नागौर में 8, चित्तौड़गढ में 7, भीलवाड़ा व दौसा में 5-5, राजसमंद व सिरोही में 4-4, कोटा, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा में 3-3, हनुमानगढ़ में 2 तथा भरतपुर, चूरू और सीकर में 1-1 नया संक्रमित मिला है। वहीं इस बीच 13 जिलों बारां, बाड़मेर, बूंदी, धौलपुर, डूंगरपुर, गंगानगर, जैसलमेर, झालावाड़, झुंझुनूं, करौली, पाली, सवाई माधोपुर और टोंक में कोई भी नया संक्रमित नहीं मिला है।

प्रदेश में बुधवार को भी रिकवरी कम हुई है। इस दौरान राज्य में 185 रोगी ठीक हुए हैं। इस बीच एक्टिव केस बढ़कर 1438 हो गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 370 मामले जयपुर जिले में, जबकि जोधपुर में 312 और बीकानेर में 158 संक्रमितों का इलाज चल रहा है। प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में अजमेर और बीकानेर में 1-1 संक्रमित की मौत हो गई है। इसके साथ ही अजमेर में अब तक करोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 449 और बीकानेर में 592 हो गई है। राज्य में अब तक इस बीमारी से 9576 लोगों की जान जा चुकी है।

राजधानी जयपुर में बुधवार को सबसे ज्यादा 9 नए संक्रमित मालवीय नगर में मिले हैं। इसके अलावा मानसरोवर में 6, सिविल लाइन्स व आदर्श नगर में 5-5, सांगानेर व वैशाली नगर में 3-3, बरकत नगर व मुरलीपुरा में 2-2 तथा बनीपार्क, बस्सी, दुर्गापुरा, गांधी नगर, गोविन्द नगर, गुजर की थड़ी, झोटवाड़ा, कोटपूतली, सिरसी और सांभर में 1-1 नया संक्रमित मिला है। जिले में आज 69 मरीज ठीक हुए हैं।

साउथ ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसेडर से भूजल प्रबंधन पर चर्चा

दक्षिण ऑस्ट्रेलिया सरकार की वॉटर एम्बेसेडर कार्लिन मेवॉल्ड के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल ने बुधवार को सचिवालय में अतिरिक्त मुख्य सचिव जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल डॉ. सुबोध अग्रवाल से मुलाकात की।

जयपुर, (का.सं.)। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया सरकार की वॉटर एम्बेसेडर कार्लिन मेवॉल्ड के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल ने बुधवार को सचिवालय में अतिरिक्त मुख्य सचिव जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल डॉ. सुबोध अग्रवाल से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान भूजल प्रबंधन एवं जल शुद्धिकरण में आधुनिक तकनीक के प्रयोग पर सहयोग के बारे में चर्चा हुई।

डॉ. अग्रवाल से चर्चा के दौरान दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की वॉटर एम्बेसेडर ने बताया कि राजस्थान एवं साउथ ऑस्ट्रेलिया की भौगोलिक परिस्थितियां कुछ हद तक मिलती-जुलती हैं। ऐसे में विभिन्न क्षेत्रों में साउथ ऑस्ट्रेलिया द्वारा राजस्थान को तकनीकी सहयोग दिया जा सकता है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच एक एमओयू हस्ताक्षरित किया गया था, जिसके तहत 'ऑस्ट्रेलिया इण्डिया वॉटर सेंटर' स्थापित किया गया है। भारत के 17 अग्रणी तकनीकी संस्थान तथा ऑस्ट्रेलिया के 9 अग्रणी तकनीकी संस्थान एवं अन्य शोध संस्थान इस सेंटर के सदस्य हैं। ऑस्ट्रेलिया इण्डिया वाटर सेंटर जल प्रबंधन एवं जल से संबंधित अन्य विषयों पर शोध, शैक्षिणक गतिविधियों एवं क्षमता संवर्द्धन कार्यक्रम का भी संचालन कर रहा है।

चतुर्थ पुण्यतिथि

श्रीमान् राजेन्द्र कुमार मल्होत्रा

"...विस्मृत नहीं विश्वास है...सम्मुख नहीं पर पास है।
..जीवन के हर तमस में,...आप ही तो प्रकाश हैं।"

हम सभी परिवारजन आपकी पुण्यतिथि पर सादर श्रद्धसुमन अर्पित करते हैं।

श्रद्धावनत- श्री अमरनाथ-वीमा मल्होत्रा, (भ्राता-भाभा), श्रीमती रजनी मल्होत्रा (पत्नी), भारती (पुत्र), चन्द्रप्रकाश (सी.पी.)-पूजा, धीरेन्द्र-लेखा (पुत्र-पुत्रवधु), नित्या (पौत्री), कुशाग्र, विदित (पौत्र), सर्वेश (दोहिता), लिनेयशा (दोहिती) एवं समस्त मल्होत्रा परिवार। 4-ए-12, न्यू हाउसिंग बोर्ड, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा बी-19, शांति नगर, गुर्जर की थड़ी, जयपुर

नम्बर मिलाइए 9587884433

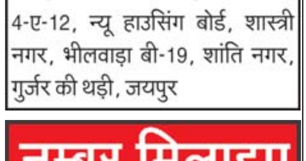

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

कार्यालय उपायुक्त (मुरलीपुरा जोन), नगर निगम ग्रेटर, जयपुर
क्रमांक-मु.जो./ननिज/2022/868 दिनांक-20/7/22
आपत्ति आमंत्रण सूचना समस्त आम एवं खास को सूचित किया जाता है कि मुरलीपुरा जोन कार्यालय में श्री प्रीतम सैनी पुत्र श्री रामलाल सैनी निवासी क-24 गांव मुरलीपुरा, जयपुर के द्वारा भूमि विक्रय विलेख, इकरारनामा के आधार पर 69-क के तहत पट्टा चाहा गया है। जिसकी नियमानुसार कार्यवाही विचाराधीन है। उक्त भूखण्ड का पट्टा जारी किये जाने पर किसी व्यक्ति/संस्था को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो जोन कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में सूचना प्रकाशन के 07 दिवस के अन्दर मय साक्ष्य आपत्ति पेश करें। बाद मियाद गुजरने के पश्चात किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा तथा पत्रावली पर अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
उपायुक्त, मुरलीपुरा जोन, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैकि श्री हनुमान प्रसाद छीपा पुत्र श्री कन्हैयालाल से कच्ची बस्ती, नृसिंह कॉलोनी, पुरानी बस्ती, जयपुर का सर्वे नम्बर 01/2004, मय तामिरात राजू जायसवाल उर्फ राजू पुत्र स्व. श्री सुवालाल खरीद रहा है।किसी को आपत्ति हो तो तीन दिन में बताये।अन्यथा आपत्ति मान्य नहीं होगी।
(मकबूल हुसैन एडवोकेट) मो.-9828071475

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैकि मेरे अभिभाष्य छीतरमल मीणा पुत्र श्री सुख देव मीणा का पुत्र भंवर लाल उर्फ लक्की मीणा एवं पुत्रवधू मेरे अभिभाष्य के कहने में नहीं है तथा मेरे अभिभाष्य एवं उसके परिजनों के साथ मारपीट करते है, मेरे अभिभाष्य ने इन दोनों को अपनी चल व अचल सम्पति से बेदखल कर दिया है तथा अपने संबंध विच्छेद कर लिये है यदि कोई व्यक्ति लेन-देन करेगा तो मेरे अभिभाष्य की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
जयपुर (कमल कुमार शर्मा) एडवोकेट
दिनांकः-20-07-2022 मो.-9928271618

खोया पाया
मैं बजरंग लाल शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद शर्मा निवासी EWS फ्लैट संख्या G/GF-9, Block-G अफोर्डेबल आवासीय योजना, विनकास एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, मुकन्दपुरा जयपुर का जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) द्वारा जारी मूल पट्टा, मेरे द्वारा भांकरोटा मे कही गुम हो गया है, मिलने पर सूचित करें। मोबाइल नं 9461136318

मकान नं.163/253, प्रताप नगर, सांगानेर जयपुर का मूल नियमितिकरण एवं अदेय प्रमाण पत्र कहीं गुम हो गया है। मिलने पर सम्पर्क करें। पार्वती-7737136355

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 78/2022
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री निर्मला कुमार शर्मा ने प्रन्यास श्री गोपीनाथ जी मंदिर ट्रस्ट ग्राम मनोहरपुरा जिला जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत प्रन्यास श्री गोपीनाथ जी मंदिर ट्रस्ट ग्राम मनोहरपुरा जिला जयपुर ने न्यासी श्री डॉ.मधुसुदन शर्मा, श्री महेश चन्द्र शर्मा, श्री बाबूलाल शर्मा का स्वर्गवास हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री निर्मल कुमार शर्मा, श्री राजेश शर्मा, श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा को नवीन न्यासी मनोनीत कर उनके नाम दर्ज अभिलेख कराने का निवेदन कर जांच किये जाने के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन-पत्र दिया है।
अतएवं धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुवे परिवर्तन/संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, मे हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले मे निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 20.7.22 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइन्दा तारीख पेशी 24.8.22
मोहर अदालत सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

संख्यांक 2
विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
नाम न्यायालय सिविल न्यायाधीश स्थान (पश्चिम) जयपुर महानगर (द्वितीय)
श्रीमति रेखा कंवर विरूद्ध कु. दामिनी राठौड़ व अन्य
वाद बाबत घोषणात्मक
वाद सं. 229 सन् 2022
नाम जनसाधारण पुत्र... जाति... स्थान... वादिगण ने आपके विरूद्ध... के लिए वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में दिनांक 25 माह 07 सन् 2022 को दिन में 10 एएम बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए समन किया जाता है।आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक् अनुदेश दिये गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों के उत्तर दे सकें या जिसके साथ ऐसा कोईव्यक्ति हो जो ऐसे प्रश्नों क उत्तर दे सके।आपको यह निर्देश दिया जाता हैकि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसी सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा याा मुजराईका दावा या प्रतिदावा आधारित हैं, और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो या न हो, अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रुप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता हैकि ऊपर बताईगईतारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वादकी सुनवाईऔर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा।
यह आज दिनांक 19 माह 07 सन् 2022 का मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया।
रीडर
मोहर सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट (पश्चिम) जयपुर महानगर-द्वितीय

आम सूचना दि. 20.07.2022
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य श्री नन्दकिशोर उपाध्याय पुत्र श्री केशवदत्त, उम्र 66 वर्ष, निवासी 29ए मोती नगर, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला, जयपुर, राजस्थान के छोटे पुत्र रवि उपाध्याय व उसकी पत्नी शैली का व्यवहार मेरे अभिभाष्य के प्रति सही नहीं है तथा यह दोनों मेरे अभिभाष्य के कहने में नहीं है तथा मेरे अभिभाष्य व उसकी पत्नी बसंती देवी से आये दिन लडाई-झगडा आदि करते है इसलिए मेरे अभिभाष्य ने उक्त रवि व शैली को अपनी चल व अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया है तथा अब मेरे अभिभाष्य का इन दोनों से किसी भी प्रकार का लेना-देना एवं रिश्ता नहीं है। सूचित रहे। भवदीया
(भावना साधनानी) एडवोकेट मोबाइल नम्बर-8239333387

कार्यालय उपायुक्त, (मुरलीपुरा जोन), नगर निगम ग्रेटर जयपुर
क्रमांक मु.जो./ननिज/2022/866 दिनांक- 20.7.2022
आपत्ति आमंत्रण सूचना
समस्त आम एवं खास को सूचित किया जाता है कि मुरलीपुरा जोन कार्यालय में श्रीमती सन्तोष शर्मा पत्नि श्री रमेश चन्द शर्मा निवासी ग्राम नागंल जैसा बोहरा जयपुर के द्वारा मतदाता सूची, विक्रय अनुबन्ध पत्र, विक्रय पत्र, राशन कार्ड, बिजली का बिल, पहचान पत्र व कोर्ट डिकी के आधार पर स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत पट्टा चाहा गया है। जिसकी नियमानुसार कार्यवाही विचाराधीन है। उक्त भूखण्ड का पट्टा जारी किये जाने पर किसी व्यक्ति/ संस्था को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो जोन कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में सूचना प्रकाशन के 07 दिवस के अन्दर मय साक्ष्य आपत्ति पेश करे। वाद मियाद गुजरने के पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा तथा पत्रावली पर अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
उपायुक्त, मुरलीपुरा जोन नगर निगम ग्रेटर

BEFORE HON'BLE 8TH ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MEGISTRATE JUDGE, SURAT
ROOM NO.708, 7TH FLOOR, NEW COURT BUILDING, ATHWALINES, SURAT
PROCLAMATION REQUIRING THE APPEARANCE OF A PERSON ACCUSED
(See section 82)
P.C.C.:- 15000/2018
COMPLAINANT : SHRI ANIL KHURANA PROP. OF KAMAL NAYAN SYNTHETICS
VS
ACCUSED :ANIL METHANI PROP. OF SHRI SAI FABRICS
WHEREAS complaint has been made before me that accused : ANIL METHANI PROP. OF SHRI SAI FABRICS address: 88/B, Rukmani nivas, Khavasji ka baug, Durgapura, Jaipur, rajasthan-302018 has committed (or is suspected to have committed) the offence of, punishable under section-138 of negotiable instrument act, and it has been returned to a warrant of arrest thereupon issued that the said ANIL METHANI PROP. OF SHRI SAI FABRICS cannot be found, and whereas it has been shown to my satisfaction that the said ANIL METHANI PROP. OF SHRI SAI FABRICS has absconded (or is concealing himself to avoid the service of the said warrant); Proclamation is hereby made that the said of is required to appear at BEFORE HON'BLE 8TH ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MEGISTRATE JUDGE ,SURAT, GUJARAT to answer the said complaint on the 27day of July 2022. 8TH ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL
Dated:15/7/2022 MEGISTRATE JUDGE,SURAT

NAME CHANGE
I Have Changed My Name From Sharwan Kumar Nayak To Sharwan Nayak S/o Madan Lal Nayak For all purpose. R/o 71, Sunder Vihar, Goner road, Luniyawas, Jaipur, Jaipur (Raj.)

I No.15441856A Naik Sumon Chatterjee Indian Army, In my service book my wife's name is Satabdi Chatterjee and DOB is 20.03.1993. But my wife's correct name is Satabdi Dutta DOB 20.03.1993. Next my wife should be known by this name. Satabdi Chatterjee and Satabdi Dutta Is The Same Person. Present Address- Military Hospital Jaipur. Banipark. Rajasthan. Permanent Address- VPO- Mayapur. Dist- Hooghly. Teh- Arambagh. Dist- Hooghly. PIN-712413

मैं विमला देवी नंदवाना पत्नी स्व.डा. रमेश चन्द बोहरा बगरू नर्सिंग होम बगरू की हूं मेरे पहचान के सभी दस्तावेजों में मेरा सही नाम विमला देवी नंदवाना है। लेकिन मेरे पासपोर्ट में मेरा नाम विमला देवी हो गया है जो गलत है। मेरा सही नाम विमला देवी नंदवाना है।

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 4719/22
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थी नाम श्रीमती नेहा पत्नी श्री रोमिल कुलश्रेष्ठ जाति...
विवाद स्थान एस-47, महेश नगर, राधिका मैरिज गार्डन के पीछे, टोंक फाटक, जयपुर
मृतक स्व.श्री रोमिल कुलश्रेष्ठ पुत्र श्री कमलेश कुमार कुलश्रेष्ठ की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 2/9/22
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम स्व.श्री रोमिल कुलश्रेष्ठ पुत्र श्री कमलेश कुमार कुलश्रेष्ठ जाति... निवासी एस-47, महेश नगर, राधिका मैरिज गार्डन के पीछे, टोंक फाटक, जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 2 माह 9 सन् 2022 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 14 माह 7 सन् 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
प्रार्थीया ने मृतक रोमिल कुलश्रेष्ठ के प्रा.पत्र HDFC बैंक में जमा राशि मय ब्याज बाबत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र चाहा है।
आज्ञा न्यायालय से-वरिष्ठ मुंसरिम
मोहर अदालत जिला एवं सैशन न्यायालय जयपुर महानगर-प्रथम

आम सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फ्लैट F-105 प्लॉट नम्बर 2, नन्द गांव एवेन्यू, आदिनाथ मार्ग, कृष्णा सरोवर, ग्राम धौलाई 302020 में स्थित है, जिस पर मेरी माताजी स्व. श्रीमती निशा शुक्ला ने एचडीएफसी लिमिटेड से ऋण लिया हुआ था तथा उक्त फ्लैट के समस्त असल दस्तावेज एचडीएफसी लिमिटेड में रख रखे हैं। यह है कि मेरी माताजी स्व. श्रीमती निशा शुक्ला का दिनांक 05.07.2021 को स्वर्गवास हो चुका है तथा उक्त फ्लैट के पेटे लिये हुए ऋण की पूर्ण अदायगी एचडीएफसी लिमिटेड को की जा चुकी है, इसलिए अब मैं उक्त फ्लैट के असल दस्तावेजों को प्राप्त करना चाहता हूं। यदि इस संबंध में किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म इत्यादि को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति है तो मय दस्तावेज प्रकाशन तिथि से सात दिवस तक की अवधि में एचडीएफसी लिमिटेड C-26 भगवानदास रोड़, सी-स्कीम, जयपुर फोन नम्बर 0141-6480799 में सम्पर्क करें।
निवासी- आयूष भट्ट, मानसरोवर

रा कार्यालय उप आवासन आयुक्त वृत्त- प्रथम राजस्थान आवासन मंडल, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांकः 5626 **जाहिर आम सूचना** दिं. 20.07.2022
राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना में आवास / फ्लैट संख्या 180/191 (LIG) का आवंटन श्री महेश कुमार पुत्र श्री मोहन दास को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 3528 दिनांक 19-10-2000 को जारी किया गया था। जिसका नियमितिकरण पत्र क्रमांक 326/5627 दिनांक 23-11-2006 के द्वारा श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री जीवन दास डांगरी के पक्ष में किया गया। उनके पक्ष में पंजीयन पत्रों निष्पादन दिं. 08.03.2007 को उप पंजीयक सांगानेर प्रथम जयपुर के यहां पंजीकृत करवाया गया। श्री सुभाष चन्द्र की मृत्यु दिं. 20.11.2013 को हो जाने के कारण उनके पुत्र श्री मुकेश डांगरी पुत्र स्व. श्री सुभाष चन्द डांगरी द्वारा आवासन मण्डल मे अपना नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त आवास का हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/ पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अद्योहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्री मुकेश डांगरी पुत्र स्व.श्री सुभाष चन्द डांगरी का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा। भवदीय
संपदा प्रबंधक, वृत प्रथम, राज. आव. मंडल, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगर पालिका किशनगढ़ बास
क्रमांक सं.ः-2452 **लोक सूचना** दिनांकः-18/07/2022
श्री सतीश कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामौतार गुप्ता जाति महाजन निवासी खुराना चौक किशनगढ़ बास ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्र
तहसील किशनगढ़ बास जिला अलवर	राजस्व ग्राम गंज	154	0.8600 है. में से 0.1450 है.

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता हैकि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनयम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोईआक्षेप हैतो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्यदिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 18/07/2022 को जारी की गयी।
(महेश कुमार गुर्जर) प्राधिकृत अधिकारी, नगर पालिका किशनगढ़ बास